कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीकर

निविदा सूचना

क्रमांक : लेखा/357 दिनांक : 22.12.2020

इस न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों के लिये प्रतिष्ठित ब्रॉण्ड प्रिंटर कार्टेज (अनुमानित लागत 150580/– रूपये) हेतु अधिकृत निर्माताओं/डीलरों/विक्रेताओ से मोहरबंद लिफाफे में सीमित निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र मय विवरण कार्यालय समय में लेखा शाखा मे कैशियर से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किये जा सकते है।

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित राशि
1	Printer Cartidge HP P1566, Canon LBP 151dw, Samsung M2280FW, Canon LBP 2900, Kyocera P2235 dn, Canon LBP 6230DN, Samsung ML 2850, Canon LBP 3000, HP MFP 1136, HP 1022, Canon LBP 6200d, HP LaserJet P1008, HP LaserJet P1005, HP LaserJet P1106	150580

निविदा प्रपत्र मूल्य 200/– रूपये एवं बयाना राशि 2 प्रतिशत होगी। निविदाएं दिनांक 22.12.2020 से दिनांक 07.01.2021 तक प्रात 10.00 बजे से बेची जाकर दिनांक 07.01.2021 दोपहर 03.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी तथा प्राप्त निविदायें दिनांक 07.01.2021 को ही दोपहर बाद 04.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष मे खोली जायेगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें विभाग की वेबसाईट http://ecourt.gov.in/sikar तथा http://spp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकेगी। वेबसाईट से फार्म लेने की दशा मे फार्म जमा कराते समय उसमे निविदा प्रपत्र मूल्य 200/– रूपये व बयाना राशि का डीडी अवश्य लगावे अन्यथा निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

अध्यक्ष (क्रय समीति)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर

क्रमांक : लेखा/358 दिनांक 22-12-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीकर
2. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा) जिला न्यायालय सीकर
3. प्रभारी अधिकारी स्टोर, जिला एवं सेशन न्यायालय सीकर
4. सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाईट http://ecourt.gov.in/sikar पर अपलोड करने हेतु
5. नाजिर, कार्यालय हाजा को 07 प्रतियां मे इन कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर रिपोर्ट पेश करने हेतु–जिला एवं सेशन न्यायालय सीकर/जिला कलेक्ट्रेट सीकर/सूचना केन्द्र सीकर/कोषालय सीकर

अध्यक्ष (क्रय समीति)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर

कार्यालय–जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीकर

निविदा प्रपत्र

निविदा पत्र शुल्क रूपये 200/–

1–नाम एवं पता निविदाकार फर्म/संस्थान	: ....
2–फोन नंबर/मोबाईल नबर	: ....
3–निविदा का नाम	: प्रिंटर कार्टेज के लिये निविदा
4–निविदा की अनुमानित लागत	: 150580/–
5–अमानत राशि	: 3000/–
6–निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि	: 22.12.20 से 07.01.21 तक दोपहर 12.00 बजे तक
7–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	: 07.01.21 का मध्याहन 03.00 तक
8–निविदा खोलने की तिथि	: 07.01.21 सांय 04.00 बजे
9–आयकर पैन नंबर/टेन नंबर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट	: ....
10–अमानत राशि का विवरण	: डीडी नंबर.............................दिनांक.................. राशि रूपये.. बैंक का नाम..

अध्यक्ष (क्रय समीति)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर

क्र सं	नाम आईटम मय विवरण	दर मय विवरण
1	HP P1566	
2	Canon LBP 151dw	
3	Samsung M2880FW	
4	Canon LBP 2900	
5	Kyocera P2235dn	
6	Canon LBP 6230DN	
7	Samsung ML 2850	
8	Canon LBP 3000	
9	HP MFP 1136	
10	HP 1022	
11	Canon LBP 6200d	
12	HP Laserjet P1008	
13	HP Laserjet P1005	
14	HP Laserjet P1106	

हस्ताक्षर फर्म मालिक/पार्टनर
मय सील

निविदा के प्रतिबंध व शर्ते

निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनका ध्यान रखकर इन शर्तो के पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटादें।

1. निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय तक कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा में कैशियर से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा की शर्ते भी कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा में देखी जा सकती है।
2. निविदायें पूर्ण रूप से भरी जाकर मोहरबंद लिफाफे में भेजी जानी है। लिफाफे पर "कम्प्यूटर प्रिंटर कार्टेज आदि के लिये निविदा" स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिये। निविदाकर्ता निविदा के सभी पृष्ठों पर मोहर सहित हस्ताक्षर करेंगे।
3. निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
4. प्राप्त निविदायें दिनांक 07.01.2021 को सायं 04.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोली जावेगी।
5. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के अनुरूप **दो प्रतिशत राशि का बैंकर्स चैक** जो कि **जिला एवं सैशन न्यायाधीश सीकर के नाम से देय हो,** के रूप में अमानत राशि हेतु निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
6. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव को वापिस लेता है या विहित करार निष्पादित नहीं करता है या निविदा स्वीकार करने के बाद या आदेशित सामग्री की आपूर्ति प्रदान करने मे विफल रहता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. यदि कोई निविदा प्रपत्र बिना धरोहर राशि के अथवा निर्धारित अमानत राशि से कम का पाया जाता है तो उसे बिना कारण बताये जाने अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
8. सभी असफल निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा अमानत राशि निविदा के सफल निस्तारण के पश्चात लौटा दी जावेगी तथा इसके लिये किसी प्रकार का ब्याज इत्यादि देय नही होगा।
9. सशर्त, अपूर्ण, भ्रामक अथवा गलत तथ्य / दावे प्रस्तुत करने वाली, अल्प वैधता वाली निविदायें स्वीकार्य नही होगा।
10. निविदा प्रपत्र में दरें शब्दो एवं अंको दोनों में बिना काट-छांट स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिये। काट-छांट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरें स्पष्ट रूप से लिखनी होंगी तथा दरें गन्तव्य स्थान-सीकर मुख्यालय तक एफ.ओ.आर. दी जानी चाहिये तथा सभी कर एवं लागत मय Handling Charges समाहित होनी चाहिये।
11. निविदा प्रपत्र के साथ आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन नंबर, बिक्री कर पंजीयन एवं चुकता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिये।
12. निविदादाता को निर्माता / अधिकृत विक्रेता / डीलर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
13. सफल निविदादाता को कार्यादेश प्राप्ति के पश्चात 05 दिवस के भीतर नियमानुसार निर्धारित राशि 500/-- रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध प्रस्तुत करना होगा।
14. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वंय के स्तर पर ही संपादित करेगा। निविदादाता अपनी स्वीकृत दरों के मद की सप्लाई का अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौपेगा / सबलेट नहीं करेगा।
15. क्रय समीति को कार्य प्रकृति / निविदा वस्तुओ की गुणवत्ता एवं लागत के आधार पर निर्णय करने का पूर्ण अधिकार होगा। क्रय समीति सभी निविदादाताओं को एक साथ वार्तालाप / नेगोसिएशन के लिये बुलाने के लिये स्वतंत्र होगी।
16. निविदा में मांगी गयी सामग्री का पूर्ण विवरण (मेक, ब्राण्ड, स्पेसिफिकेशन आदि) देना होगा।
17. यदि माल की आपूर्ति केता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नही की जाती है तो निविदादाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद केता अधिकारी निविदा / संविदा किसी भी समय निरस्त कर सकता है।
18. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि के ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना, विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टिकरण करना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
19. क्रय आदेश जारी किये जाने के बाद माल की आपूति निर्धारित समयावधि में की जानी होगी। माल की सप्लाई आदेशानुसार या समय पर नही होने पर फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं कार्यालय को होने वाली वित्तीय क्षति का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा।
20. संबंधित फर्म को सामग्री की आपूर्ति कार्यालय आदेश प्राप्ति पर शीघ्र संपूर्ण करनी होगी। निविदा में वर्णित दरों के संबंध में बाजार में किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि होती है तो इसकी जिम्मेवारी संबंधित फर्म की होगी।

21. यदि क्रेता अधिकारी निविदत्त सामग्री की खरीद नही करता है या निविदा सूचना मे निर्दिष्ट मात्रा से कम क्रय करता है तो निविदादाता किसी प्रकार क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नही होगा। क्रय समिति विज्ञप्ति में दी गयी मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि करते हुये क्रय कर सकती है।
22. क्रेता अधिकारी को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकारी होगा।
23. क्रयादेश की निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदान नही करने पर शास्ति (लिक्विडिटी डमेज) निम्न प्रकार वसूल योग्य होगा–
(क) विदित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिये क्रयादेश की राशि का 2.5 प्रतिशत।
(ख) विदित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिये विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का पाँच प्रतिशत।
(ग) विदित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिये विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का साढे सात प्रतिशत।
(घ) विदित सुपुर्दगी अवधि का तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का दस प्रतिशत।
24. सामग्री प्रदान में विलम्ब की अवधि की गणना के लिये आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा एवं शास्ति की अधिकतम राशि दस प्रतिशत होगी।
25. सप्लाई की गयी सामग्री निर्धारित मानक/निर्देशों के अनुसार नही होने की स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के त्रुटि सुधार कर/बदल कर देनी होगी अथवा उसका लागत मूल्य कार्यालय में जमा करवाना होगा। इसके अलावा कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही भी की जावेगी।
26. आपूर्तिकर्ता फर्म को सप्लाई किये जा रहे सामान का कोई अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा।
27. किसी भी विवाद की स्थिति में क्रय समीति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
28. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो राजस्थान सरकार के General Financial and Accounts Rules एवं Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के प्रावधान यथा स्थान लागू होंगे।

हम जिला एवं सैशन न्यायालय, सीकर जिला सीकर द्वारा जारी सामग्री हमारे द्वारा दी गयी दरों के आधार पर सामग्री की आपूर्ति दिये जाने हेतु सहमत है।

हम जिला एवं सैशन न्यायाधीश सीकर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या.............. दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर फर्म मालिक/पार्टनर
मय सील

वास्ते
फर्म का नाम व पता
फर्म का स्टाम्प